रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1959] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण 14, 1938
No. 1959] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/SRAVANA 14, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2016

का.आ. 2630(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र के पुणे जिले में मयूरेशवर सुपे वन्यजीव अभयारण्य उत्तर 18° 21′ से 18° 22′ अक्षांश और पूर्व 74° 20′ से 74° 23′ देशांतर के बीच स्थित है और 514 हेक्टेयर वर्ग में फैला हुआ है;

और, अभयारण्य में समृद्ध जीवजंतु और वनस्पति जैव विविधता है तथा भेड़िया, लोमड़ी, सियार, भारतीय चिंकारा, गोह, सामान्य सर्कन आदि को आश्रय देता है;

और, मयूरेशवर सुपे वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में मयूरेशवर सुपे वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर तक विस्तार वाले क्षेत्र को मयूरेशवर सुपे वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) महाराष्ट्र राज्य में मयूरेशवर सुपे वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से पारिस्थितिक संवेदी जोन 100 मीटर तक के विस्तार सहित 120.20 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है । ऐसे जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशांतर के साथ **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरण और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई ;

(x) लोक निर्माण विभाग

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्‍चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं0 10, 16, 22, 30 और 33 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टैंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना ;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि हैं :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) होटल और रिसॉर्ट के नए संनिर्माण पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन गतिविधियों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास स्थान को छोड़कर पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अनुमति नहीं दी जाएगी;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाईयां - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
1	2	3
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन, उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए एवं विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में

		तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग लागू विधि के अनुसार निरंतर बने रहेंगे ;
विनियमित क्रियाकलाप		
(9)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान, गर्म वायु गुब्बारों का राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(10)	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा : परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी । (ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे। (ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
(12)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी; (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।
(13)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए सतही जल और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा।

		(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही जल या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(14)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(15)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(16)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(17)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(18)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिस्रांव का निस्सारण ।	उपचारित बहिस्रांव के पुनचक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(21)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(23)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	वायु और यानीय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	होटलों और लॉज के परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	पोलिथीन थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	पारिस्थितिक-पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकिलाप	
(29)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(30)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(31)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(32)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(33)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर और अन्य कुटीर उद्योग आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(34)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर रोशनी आदि को बढ़ावा दिया जाए।
(35)	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(36)	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति - (1) केंद्रीय सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी तीन वर्ष की अवधि के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	जिला कलेक्टर, पुणे – अध्यक्ष;	
(ख)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	– सदस्य;
(ग)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	– सदस्य;
(घ)	क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार	– सदस्य;
(ङ)	महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	– सदस्य;
(च)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	-सदस्य;
(छ)	उप वन संरक्षक, पुणे वन प्रभाग	– सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ)ए तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/42(ए) /2015 ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची और अभयारण्य खंड प्रकार की सीमा, जिला प्रकार, वन प्रभाग प्रकार और वन क्षेत्र प्रकार के निकटवर्ती के साथ इसके अवस्थान नीचे दिए गए है।

क्र. सं.	वन क्षेत्र, वन प्रभाग, जिला और खंड	मयूरेशवर सुपे वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की दिशा	ग्राम की संख्या	
			क्र. सं.	ग्राम का नाम
1.	पुणे वन क्षेत्र। पुणे वन प्रभाग, पुणे। पुणे जिला। बारामती- दौंद खंड	उत्तर	02	• वधाने निजी गट सं. • 524, 523, 522, 516, 510, 500, 498, 499, 465 • पदावी आरक्षित वन गट सं. 393
2.	पुणे वन क्षेत्र। पुणे वन प्रभाग, पुणे। पुणे जिला। बारामती खंड।	पूर्व	01	• सुपे आरक्षित वन गट सं. 104 • सुपे निजी गट सं. 105, 107, 108,97, 100, 99, 93, 43, 42 और 21 से 32
3.	पुणे वन क्षेत्र। पुणे वन प्रभाग, पुणे। पुणे जिला। बारामती खंड।	दक्षिण	01	• मोरगांव से सुपे सड़क भोंदवेवाडी निजी गट सं. 237 निजी गट कुटवालवाड़ी निजी गट सं. 775 निजी गट से 783, 773, 759 से 770, 739 से 741, 797, 796, 798, 805
4.	पुणे वन क्षेत्र। पुणे वन प्रभाग, पुणे। पुणे जिला। बारामती खंड।	पश्चिम	1	• कुटवालवाड़ी निजी गट सं. 807, 809, 811, 812 से 815, 819, 820, 828, 724, 725, 729 से 736, 711 से 713, 738, 686 से 688, 690 से 697

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित वन क्षेत्र और गैर वन क्षेत्र के साथ ग्रामों के विवरण दर्शाने वाले नाम

क्र. सं.	ग्राम	आरक्षित वन क्षेत्र हेक्टेयर में	निजी और अन्य क्षेत्र हेक्टेयर	टिप्पणी
1	वधाने, तालुका बरामती	---	24.53	---
2	सुपे, तालुका बरामती	---	25.80	---
3	कुटावालवाड़ी, तालुका बरामती	---	54.65	---
4	भोंदेवाड़ी, तालुका दौंद	---	4.44	---
5	वदावी, तालुका दौंद	10.78	---	---

उपाबंध-III

अंक्षाश और देशांतर सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

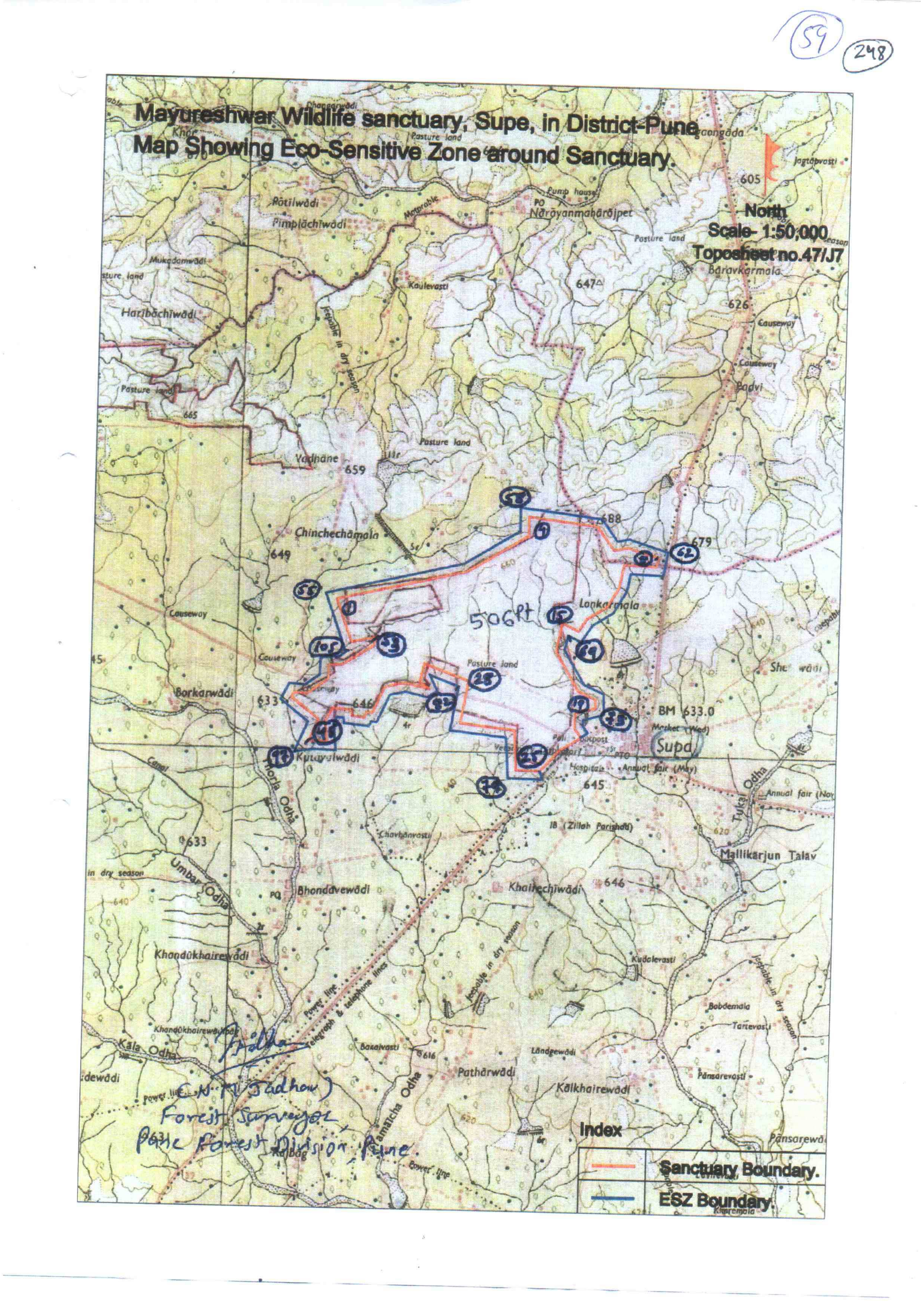

मयूरेशवर अभयारण्य अक्षांश-देशांतर

अभयारण्य अक्षांश-देशांतर			पारिस्थितिक अक्षांश-देशांतर	
बिंदु आई.डी.	अक्षांश-देशांतर		बिंदु आई.डी.	अक्षांश-देशांतर
1	उ1821 01.2 पू74 20 41.0		55	उ1821 03.5 पू74 20 36.5
2	उ1821 13.1 पू74 21 34.2		56	उ1821 16.2 पू74 21 32.9
3	उ1821 27.6 पू74 21.59.0		57	उ1821 29.4 पू74 21 55.6
4	उ1821 35.0 पू74 21 59.0		58	उ1821 38.6 पू74 21 55.6
5	उ1821 32.0 पू74 22 27.0		59	उ1821 35.1 पू74 22 28.9
6	उ1821 23.0 पू74 22 34.0		60	उ1821 26.5 पू74 22 35.5
7	उ1821 24.0 पू74 22 40.2		61	उ1821 27.3 पू74 22 40.4
8	उ1821 20.4 पू74 22 52.4		62	उ1821 22.7 पू74 22 56.3
9	उ1821 16.9 पू74 22 51.7		63	उ1821 13.5 पू74 22 54.6
10	उ1821 17.4 पू74 22 38.5		64	उ1821 14.0 पू74 22 41.3
11	उ1821 08.2 पू74 22 36.7		65	उ1821 07.1 पू74 22 39.9
12	उ1821 00.8 पू74 22 32.0		66	उ1820 58.4 पू74 22 34.6
13	उ1820 55.8 पू74 22 23.7		67	उ1820 53.4 पू74 22 26.1
14	उ1820 50.9 पू74 22 20.4		68	उ1820 46.7 पू74 22 21.6
15	उ1820 54.0 पू74 22 13.8		69	उ1820 49.2 पू74 22 16.3
16	उ1820 42.9 पू74 22 11.5		70	उ1820 43.5 पू74 22 15.1
17	उ1820 27.6 पू74 22 21.0		71	उ1820 30.1 पू74 22 23.4
18	उ1820 24.6 पू74 22 28.1		72	उ1820 26.8 पू74 22 31.4
19	उ1820 21.3 पू74 22 28.2		73	उ1820 18.8 पू74 22 31.7
20	उ1820 19.0 पू74 22 20.1		74	उ1820 16.6 पू74 22 23.4
21	उ1820 13.2 पू74 22 19.8		75	उ1820 14.2 पू74 22 23.3
22	उ1820 09.5 पू74 22 22.6		76	उ1820 08.6 पू74 22 27.5
23	उ1820 04.4 पू74 22 14.2		77	उ1820 01.9 पू74 22 16.4
24	उ1819 56.1 पू74 22 06.1		78	उ1819 52.8 पू74 22 07.5
25	उ1819 56.2 पू74 21 56.4		79	उ1819 53.0 पू74 21 53.2
26	उ1820 11.8 पू74 21 55.3		80	उ1820 08.8 पू74 21 52.1
27	उ1820 14.0 पू74 21 33.1		81	उ1820 11.1 पू74 21 29.1
28	उ1820 30.4 पू74 21 36.1		82	उ1820 28.3 पू74 21 32.2
29	उ1820 36.7 पू74 21 17.7		83	उ1820 32.4 पू74 21 20.2

30	उ1820 29.5 पू74 21 16.1		84	उ1820 26.3 पू74 21 23.5
31	उ1820 27.0 पू74 21 20.2		85	उ1820 23.8 पू74 21 19.4
32	उ1820 29.0 पू74 21 10.7		86	उ1820 25.7 पू74 21 10.6
33	उ1820 28.6 पू74 21 07.3		87	उ1820 24.4 पू74 21 04.1
34	उ1820 27.2 पू74 21 01.7		88	उ1820 13.6 पू74 20 58.8
35	उ1820 17.2 पू74 20 56.8		89	उ1820 13.9 पू74 20 56.7
36	उ1820 17.5 पू74 20 54.7		90	उ1820 11.9 पू74 20 55.8
37	उ1820 15.4 पू74 20 53.7		91	उ1820 13.0 पू74 20 45.4
38	उ1820 16.0 पू74 20 48.6		92	उ1820 15.2 पू74 20 45.2
39	उ1820 18.3 पू74 20 48.4		93	उ1820 15.3 पू74 20 42.4
40	उ1820 18.6 पू74 20 40.3		94	उ1820 12.9 पू74 20 41.1
41	उ1820 13.4 पू74 20 37.7		95	उ1820 02.2 पू74 20 42.3
42	उ1820 05.6 पू74 20 38.5		96	उ1820 02.6 पू74 20 33.2
43	उ1820 05.9 पू74 20 33.0		97	उ1820 01.3 पू74 20 25.4
44	उ1820 05.6 पू74 20 31.0		98	उ1820 13.3 पू74 20 30.7
45	उ1820 14.4 पू74 20 34.9		99	उ1820 21.7 पू74 20 19.1
46	उ1820 22.6 पू74 20 23.5		100	उ1820 28.1 पू74 20 22.6
47	उ1820 24.7 पू74 20 24.6		101	उ1820 27.5 पू74 20 29.0
48	उ1820 24.1 पू74 20 30.0		102	उ1820 31.7 पू74 20 35.1
49	उ1820 30.0 पू74 20 38.4		103	उ1820 38.5 पू74 20 35.2
50	उ1820 35.4 पू74 20 38.5		104	उ1820 38.8 पू74 20 42.8
51	उ1820 35.6 पू74 20 43.8		105	उ1820 40.7 पू74 20 45.3
52	उ1820 43.2 पू74 20 56.7			
53	उ1820 46.5 पू74 20 57.5			
54	उ1820 44.4 पू74 20 47.5			

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश A ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।

8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2016

S.O. 2630(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Mayureshwar Supe Wildlife Sanctuary is situated in Pune District of Maharashtra between North 18° 21′ to 18° 22′ latitude and between East 74° 20′ to 74° 23′ longitude and is spread over an area of 514 hectares;

AND WHEREAS, the sanctuary has rich faunal and floral biodiversity and harbours Wolf, Fox, Jackal, Indian Gazelle, Monitor Lizard, Common Cursor etc.

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Mayureshwar Supe Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 100 meters from the boundary of Mayureshwar Supe Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Mayureshwar Supe Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 120.20 hectares with an extent of upto 100 meters from the boundary of the Mayureshwar Supe Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra. The boundary description of such Zone is appended as **Annexure I**.

(2) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The said Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The said Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture,

(viii) Maharashtra State Pollution Control Board,

(ix) Irrigation,

(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The said Master Plan shall not impose any restrictions on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The said Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The said Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for securing livelihood of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use. -** Forests, horticultural areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industries related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 30 and 33 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Maharashtra in consultation with the Department of Revenue and Forests, Government of Maharashtra.

(c) The activity relating to tourism shall be as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendations of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluents in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of

Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid waste shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) the mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court, dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that the existing wood based industry may continue as per law.
	Regulated Activities	
9.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

	park area by aircraft, hot-air balloons.	
10.	Establishment of eco-friendly tourism hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder; (c) in case of reserve forests and protected forests, Working Plan prescriptions shall be followed.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluents shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone and which do not cause any adverse impact on environment, shall be permitted.
23.	Collection of forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
24.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
25.	Fencing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
26.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
27.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-Tourism.	Regulated under applicable laws.
	Promoted Activities	
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.

33.	Cottage industries including village artisans and other cottage industries.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light,etc. shall be promoted.
35.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(a) District Collector, Pune – Chairman;

(b) a representative of non-Governmental organisation working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra – Member;

(c) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, - Member;

(d) Senior Town Planner of the area – Member;

(e) one expert in the area of ecology and environment from reputed institution or university of the State to be nominated by the Government of Maharashtra in each case - Member;

(f) Member of the State Biodiversity Board -Member;

(g) Deputy Conservator of Forests, Pune Forest Division –Member Secretary.

6. Terms of Reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Park Deputy Conservator of Forests or the Field Director, Melghat Tiger Reserve shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/42(A)/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of the proposed Eco-sensitive Zone

List of villages coming in the proposed Eco-sensitive Zone and its location with respect to adjoining boundary of sanctuary block wise, district wise, forest division wise and forest circle wise is given in following format.

Sl. No.	Forest Circle, Forest Division, District and Block	Direction of proposed Eco-sensitive Zone to Mayureshwar Supe WLS	Number of Village	
			Sl. No.	Name of Village
1.	Pune Forest circle. Pune Forest Division, Pune. Pune District. Baramati-Daund Block	North	02	• Vadhane Private Gut No. • 524, 523, 522, 516, 510, 500, 498, 499, 465 • Padavi R. Forest Gut No. 393
2.	Pune Forest circle. Pune Forest Division, Pune. Pune District Baramati Block.	East	01	• Supe R.F. Gut No. 104 • Supe Pvt. Gut No. 105, 107, 108, 97, 100, 99, 93, 43, 42&21 to 32
3.	Pune Forest circle Pune Forest Divivion Pune District. Baramati Block.	South	01	• Morgaon to Supe Road Bhondvewadi Pvt. Gut No. 237 Kutwalwadi Pvt. Gut No. 775 to 783, 773, 759 to 770, 739 to 741, 797, 796, 798, 805
4.	Pune Forest circle. Pune Forest Division, Pune District. Baramati Block.	West	1	• Kutwalwadi Private Gut No. 807, 809, 811, 812 to 815, 819, 820, 828, 724, 725, 729 to 736, 711 to 713, 738, 686 to 688, 690 to 697

Annexure II

List of Villages in the proposed Eco-sensitive Zone

Statement showing name of villages with forest area and non forest area included proposed Eco-sensitive Zone

S.R.	Village	Reserved Forest Area in hectare	Private and another Area hectare	Remarks
1	Vadhane, Tal.Baramati	---	24.53	---
2	Supe, Tal.Baramati	---	25.80	---
3	Kutawalwadi, Tal.Baramati	---	54.65	---
4	Bhondewadi, Tal.Daund	---	4.44	---
5	Padavi, Tal.Daund	10.78	---	---

Annexure III

Map of proposed Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude

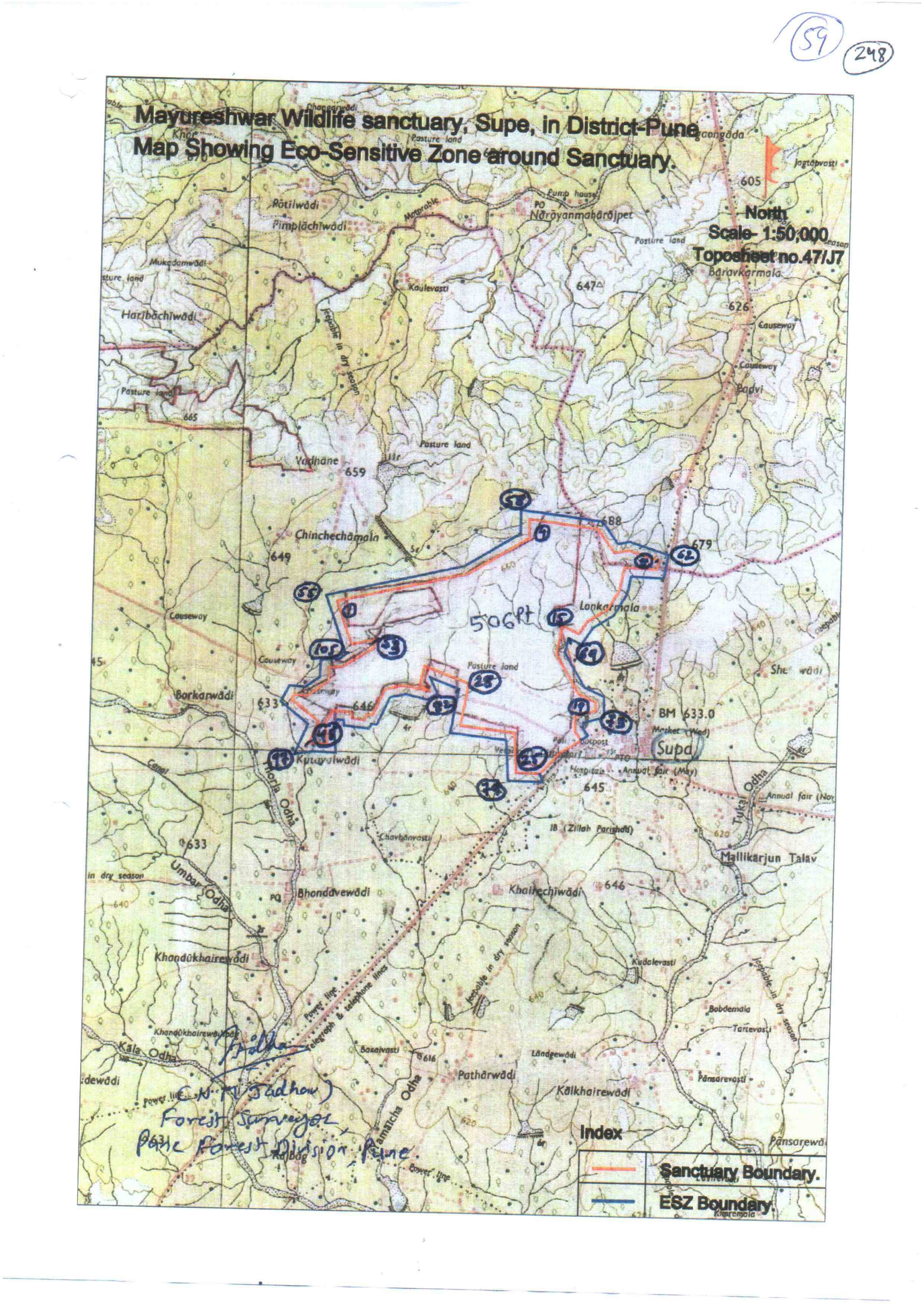

Mayureshwar Sanctuary Lat-Long

Sanctuary lat-Long			ESZ Lat-Long	
Point I.D.	**Latitude-Longitude**		**Point I.D.**	**Latitude-Longitude**
1	N1821 01.2 E74 20 41.0		55	N1821 03.5 E74 20 36.5
2	N1821 13.1 E74 21 34.2		56	N1821 16.2 E74 21 32.9
3	N1821 27.6 E74 21.59.0		57	N1821 29.4 E74 21 55.6
4	N1821 35.0 E74 21 59.0		58	N1821 38.6 E74 21 55.6
5	N1821 32.0 E74 22 27.0		59	N1821 35.1 E74 22 28.9
6	N1821 23.0 E74 22 34.0		60	N1821 26.5 E74 22 35.5
7	N1821 24.0 E74 22 40.2		61	N1821 27.3 E74 22 40.4
8	N1821 20.4 E74 22 52.4		62	N1821 22.7 E74 22 56.3
9	N1821 16.9 E74 22 51.7		63	N1821 13.5 E74 22 54.6
10	N1821 17.4 E74 22 38.5		64	N1821 14.0 E74 22 41.3
11	N1821 08.2 E74 22 36.7		65	N1821 07.1 E74 22 39.9
12	N1821 00.8 E74 22 32.0		66	N1820 58.4 E74 22 34.6
13	N1820 55.8 E74 22 23.7		67	N1820 53.4 E74 22 26.1
14	N1820 50.9 E74 22 20.4		68	N1820 46.7 E74 22 21.6
15	N1820 54.0 E74 22 13.8		69	N1820 49.2 E74 22 16.3
16	N1820 42.9 E74 22 11.5		70	N1820 43.5 E74 22 15.1
17	N1820 27.6 E74 22 21.0		71	N1820 30.1 E74 22 23.4
18	N1820 24.6 E74 22 28.1		72	N1820 26.8 E74 22 31.4
19	N1820 21.3 E74 22 28.2		73	N1820 18.8 E74 22 31.7
20	N1820 19.0 E74 22 20.1		74	N1820 16.6 E74 22 23.4
21	N1820 13.2 E74 22 19.8		75	N1820 14.2 E74 22 23.3
22	N1820 09.5 E74 22 22.6		76	N1820 08.6 E74 22 27.5
23	N1820 04.4 E74 22 14.2		77	N1820 01.9 E74 22 16.4
24	N1819 56.1 E74 22 06.1		78	N1819 52.8 E74 22 07.5
25	N1819 56.2 E74 21 56.4		79	N1819 53.0 E74 21 53.2
26	N1820 11.8 E74 21 55.3		80	N1820 08.8 E74 21 52.1
27	N1820 14.0 E74 21 33.1		81	N1820 11.1 E74 21 29.1
28	N1820 30.4 E74 21 36.1		82	N1820 28.3 E74 21 32.2
29	N1820 36.7 E74 21 17.7		83	N1820 32.4 E74 21 20.2
30	N1820 29.5 E74 21 16.1		84	N1820 26.3 E74 21 23.5
31	N1820 27.0 E74 21 20.2		85	N1820 23.8 E74 21 19.4
32	N1820 29.0 E74 21 10.7		86	N1820 25.7 E74 21 10.6
33	N1820 28.6 E74 21 07.3		87	N1820 24.4 E74 21 04.1
34	N1820 27.2 E74 21 01.7		88	N1820 13.6 E74 20 58.8
35	N1820 17.2 E74 20 56.8		89	N1820 13.9 E74 20 56.7
36	N1820 17.5 E74 20 54.7		90	N1820 11.9 E74 20 55.8
37	N1820 15.4 E74 20 53.7		91	N1820 13.0 E74 20 45.4
38	N1820 16.0 E74 20 48.6		92	N1820 15.2 E74 20 45.2
39	N1820 18.3 E74 20 48.4		93	N1820 15.3 E74 20 42.4
40	N1820 18.6 E74 20 40.3		94	N1820 12.9 E74 20 41.1

41	N1820 13.4 E74 20 37.7		95	N1820 02.2 E74 20 42.3
42	N1820 05.6 E74 20 38.5		96	N1820 02.6 E74 20 33.2
43	N1820 05.9 E74 20 33.0		97	N1820 01.3 E74 20 25.4
44	N1820 05.6 E74 20 31.0		98	N1820 13.3 E74 20 30.7
45	N1820 14.4 E74 20 34.9		99	N1820 21.7 E74 20 19.1
46	N1820 22.6 E74 20 23.5		100	N1820 28.1 E74 20 22.6
47	N1820 24.7 E74 20 24.6		101	N1820 27.5 E74 20 29.0
48	N1820 24.1 E74 20 30.0		102	N1820 31.7 E74 20 35.1
49	N1820 30.0 E74 20 38.4		103	N1820 38.5 E74 20 35.2
50	N1820 35.4 E74 20 38.5		104	N1820 38.8 E74 20 42.8
51	N1820 35.6 E74 20 43.8		105	N1820 40.7 E74 20 45.3
52	N1820 43.2 E74 20 56.7			
53	N1820 46.5 E74 20 57.5			
54	N1820 44.4 E74 20 47.5			

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.